

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1579
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-001
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - गंगा

8. पिता/पति का नाम - सम्मैलाल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2457
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-002
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - लता यादव

8. पिता/पति का नाम - रोहित कुमार यादव

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2100
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-003
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - श्रीमती कुसुम श्रद्धा

8. पिता/पति का नाम - ओमप्रकाश

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2195
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-004
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - चुनिता भुआर्य

8. पिता/पति का नाम - मनोज कुमार भुआर्य

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2139
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-005
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - राकेश कुमार भारद्वाज

8. पिता/पति का नाम - स्व 0 गोवर्धन भारद्वाज

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 651
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-006
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - जिनेन्द्र कुमार चतुर्वेदी

8. पिता/पति का नाम - स्व.श्यामलाल चतुर्वेदी

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 166
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-007
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - भानूप्रताप साहू

8. पिता/पति का नाम - श्री भूखन लाल साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1087
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-008
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अमन अग्रवाल

8. पिता/पति का नाम - मनहरण अग्रवाल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1077
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-009
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - पल्लवी लोधी

8. पिता/पति का नाम - श्याम सुंदर लोधी

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 7
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-010
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - युवराज

8. पिता/पति का नाम - मोहनलाल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1061
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-011
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - कामिनी धुव

8. पिता/पति का नाम - मिलउ राम धुव

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1222
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-012
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अन्नू कैवर्त्य

8. पिता/पति का नाम - श्री विशाल प्रसाद

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1208
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-013
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - दिनेश कुमार

8. पिता/पति का नाम - श्री पूना राम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1980
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-014
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - धनेश्वर साहू

8. पिता/पति का नाम - श्री गोपी राम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1504
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-015
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - मोहनलाल

8. पिता/पति का नाम - बालाराम साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1512
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-016
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - पारसराम पटेल

8. पिता/पति का नाम - सुन्देर सिंह पटेल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1080
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-017
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - राजेश कुमार जंघेल

8. पिता/पति का नाम - बालकिशन जंघेल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 25
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-018
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - टंकेश कुमार

8. पिता/पति का नाम - चन्द्र कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 341
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-019
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - सुदराम

8. पिता/पति का नाम - परसराम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 77
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-020
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - हेमंत

8. पिता/पति का नाम - ललित

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 388
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-021
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - लक्ष्मी सोनवानी

8. पिता/पति का नाम - रमेश्वर सोनवानी

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1719
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-022
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अजय यादव

8. पिता/पति का नाम - यशवंत यादव

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 298
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-023
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - दिलदार

8. पिता/पति का नाम - रामसिंग

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1162
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-024
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - शंकर लाल प्रधान

8. पिता/पति का नाम - चैतन्य प्रधान

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1472
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-025
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - चेतन कुमार देवांगन

8. पिता/पति का नाम - हेमचंद देवांगन

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1416
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-026
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - देवेन्द्र साहू

8. पिता/पति का नाम - कोमल साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 841
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-027
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - रोहित बंछोर

8. पिता/पति का नाम - कपिल बंछोर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1557
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-028
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - नीलवंतीन कोसरे

8. पिता/पति का नाम - रविन्द्र कुमार कोसले

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1404
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-029
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - नितिन कुमार टण्डन

8. पिता/पति का नाम - गेमन लाल टण्डन

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1560
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-030
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - टिकेन्द्र सिंह ठाकुर

8. पिता/पति का नाम - राजेश कुमार ठाकुर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 875
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-031
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - भारत कुमार वानखेड़े

8. पिता/पति का नाम - स्व० भाउदास वानखेड़े

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ०ग०)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 201
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-032
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - निकेत पटेल

8. पिता/पति का नाम - श्री टीकाराम पटेल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2175
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-033
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - कृष्ण कन्हैया साहू

8. पिता/पति का नाम - जीवन दास साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2432
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-034
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - हिमांशु यादव

8. पिता/पति का नाम - रमेश कुमार यादव

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1469
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-035
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - भरत कुमार

8. पिता/पति का नाम - एस. एन. सिंह

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 704
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-036
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - खुलेश्वर साहू

8. पिता/पति का नाम - भागीराम साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 741
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-037
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - इनेन्द्र कुमार साहू

8. पिता/पति का नाम - स्व० रामेश्वर साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1464
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-038
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अविनाश मेश्राम

8. पिता/पति का नाम - श्री विनोद कुमार मेश्राम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 477
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-039
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - संतोष कुमार

8. पिता/पति का नाम - फागुराम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1759
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-040
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - आशुतोष कुमार साव

8. पिता/पति का नाम - जागेश्वर प्रसाद साव

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1015
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-041
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - निखिल कुमार

8. पिता/पति का नाम - वासुदेव

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1000
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-042
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अमरदीप

8. पिता/पति का नाम - सीताराम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 970
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-043
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - श्रीमती लता निर्मलकर

8. पिता/पति का नाम - उमाकांत

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2272
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-044
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - भानुप्रिया साहू

8. पिता/पति का नाम - श्री पोषण लाल साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1042
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-045
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - लक्ष्मीन साहू

8. पिता/पति का नाम - अशोक कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 967
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-046
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - कु. प्रेमांजली

8. पिता/पति का नाम - घनाराम साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1763
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-047
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - संतोष कुमार यादव

8. पिता/पति का नाम - प्रेम राम यादव

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1765
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-048
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - श्रीमती शिल्पा जोगी

8. पिता/पति का नाम - मुकेश जोगी

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1277
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-049
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - मौसम कुमार अग्रवाल

8. पिता/पति का नाम - जैनेन्द्र कुमार अग्रवाल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 513
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-050
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - लिहेंद्र

8. पिता/पति का नाम - शंकर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 507
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-051
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - मनीष कुमार दुबे

8. पिता/पति का नाम - स्व० बंशीलाल दुबे

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 366
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-052
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - संजना साहू

8. पिता/पति का नाम - कृष्ण कुमार साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 372
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-053
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - सती कुमारी

8. पिता/पति का नाम - भरत लाल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 392
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-054
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - योगेश कुमार पटेल

8. पिता/पति का नाम - महिपत सिंह

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 675
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-055
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - मुकेश कुमार सागरवंशी

8. पिता/पति का नाम - रमेश लाल सागरवंशी

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1374
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-056
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - प्रवीण त्रिपाठी

8. पिता/पति का नाम - उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 643
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-057
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - लोकेन्द्र कुमार

8. पिता/पति का नाम - ताम्रध्वज

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 672
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-058
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - लोकेश कुमार सोनी

8. पिता/पति का नाम - विजय कुमार सोनी

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 644
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-059
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - बीना यादव

8. पिता/पति का नाम - रोहित यादव

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 647
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-060
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - नंदलाल कौशिक

8. पिता/पति का नाम - रणजीत कौशिक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 674
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-061
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - युगल किशोर

8. पिता/पति का नाम - हंसुख राम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1370
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-062
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - दिव्य सोनी

8. पिता/पति का नाम - महेन्द्र कुमार सोनी

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 317
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-063
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - मोहनीश देशमुख

8. पिता/पति का नाम - किशन लाल देशमुख

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 355
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-064
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - आदित्य कश्यप

8. पिता/पति का नाम - घनश्याम कश्यप

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 176
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-065
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - निशा यदु

8. पिता/पति का नाम - श्री अनुज कुमार यदु

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1130
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-066
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - शुभम खाण्डेकर

8. पिता/पति का नाम - हुकुम चंद खाण्डेकर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1666
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-067
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - पूजा कुंभकार

8. पिता/पति का नाम - श्री सियाराम कुंभकार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 123
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-068
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अभिषेक कुमार चौधरी

8. पिता/पति का नाम - श्री हेमचरण चौधरी

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 157
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-069
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - शिवकुमार लहरे

8. पिता/पति का नाम - श्री डमरू राम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1690
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-070
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - सोनूराम साहू

8. पिता/पति का नाम - श्री कोदूराम साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1090
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-071
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - तोरण कुमार दीवान

8. पिता/पति का नाम - गजानंद दीवान

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1071
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-072
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - योगेश कुमार

8. पिता/पति का नाम - भानू दास

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1690
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-073
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - सोनूराम साहू

8. पिता/पति का नाम - श्री कोदूराम साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 553
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-074
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अभिषेक कुरें

8. पिता/पति का नाम - एम०अ०र० कुरें

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ०ग०)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2306
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-075
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - ज्योतिष कुमार बान्धे

8. पिता/पति का नाम - चैतराम बान्धे

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 265
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-076
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - श्रृंखला देवांगन

8. पिता/पति का नाम - लक्ष्मीनाथ देवांगन

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2082
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-077
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - कंचन पाण्डेय

8. पिता/पति का नाम - अजय कुमार पाण्डेय

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1334
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-078
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - प्रेमबती मरकाम

8. पिता/पति का नाम - श्री रामलाल मरकाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 217
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-079
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - पुरुषोत्तम

8. पिता/पति का नाम - छोटेलाल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2184
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-080
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अंजली वर्मा

8. पिता/पति का नाम - संतोष कुमार वर्मा

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2142
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-081
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - चंद्रकांत

8. पिता/पति का नाम - महेश राम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 294
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-082
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - सीताराम साहू

8. पिता/पति का नाम - श्री फिरता राम साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2092
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-083
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अनिल यादव

8. पिता/पति का नाम - लखन लाल यादव

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2200
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-084
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - प्रशांत यादव

8. पिता/पति का नाम - रमेश कुमार यादव

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2213
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-085
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - भूपेश कुमार साहू

8. पिता/पति का नाम - गुमान सिंह साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1341
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-086
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अमन कुमार

8. पिता/पति का नाम - उबारन साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2148
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-087
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - हेमा कुरें

8. पिता/पति का नाम - लवण कुरें

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1306
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-088
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - आर्यन राज साहू

8. पिता/पति का नाम - स्व. श्री आनंद कुमार साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2449
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-089
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - सूरज सोनकर

8. पिता/पति का नाम - रुपनारायण सोनकर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1720
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-090
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - मुरली यादव

8. पिता/पति का नाम - बबलू यादव

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1737
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-091
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अर्जुनपाल

8. पिता/पति का नाम - बुधराम पाल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1635
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-092
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - छत्रपाल लहरे

8. पिता/पति का नाम - भास्कर लहरे

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1612
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-093
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - निर्मला कर्ष

8. पिता/पति का नाम - नन्दकुमार कर्ष

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1632
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-094
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - शेख सिराजुद्दीन

8. पिता/पति का नाम - शेख सगीरुद्दीन

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1524
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-095
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - गजेन्द्र कुमार सोनेश्री

8. पिता/पति का नाम - नकुलराम सोनेश्री

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1971
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-096
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - निशा बंजार

8. पिता/पति का नाम - श्री कोमल प्रसाद बंजारे

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1201
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-097
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - हितेश कुमार साहू

8. पिता/पति का नाम - श्री जगमोहन लाल साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1847
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-098
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - नीतु साहू

8. पिता/पति का नाम - श्री पूरनलाल साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1811
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-099
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - रेणुका चंद्रवंशी

8. पिता/पति का नाम - श्री प्रेमलाल चंद्रवंशी

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
- परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1823
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-100
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - निलिमा कोराम

8. पिता/पति का नाम - सोपसिंह कोराम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 402
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-101
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - प्रेरणा सोनी

8. पिता/पति का नाम - द्वारिका सोनी

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1956
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-102
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - समारू साहू

8. पिता/पति का नाम - श्री मयाराम साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2023
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-103
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - सोनाऊराम

8. पिता/पति का नाम - श्री श्याम प्रसाद

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1157
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-104
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - निलेश कुमार

8. पिता/पति का नाम - श्री साधूराम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 272
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-105
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - मनीष कुमार निर्मलकर

8. पिता/पति का नाम - महेश कुमार निर्मलकर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 773
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-106
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - डिलेश कुमार साहू

8. पिता/पति का नाम - श्री रोहित कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 10
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-107
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अभिषेक वर्मा

8. पिता/पति का नाम - प्रदीप कुमार वर्मा

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1167
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-108
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - गिरीश प्रसाद

8. पिता/पति का नाम - धर्मेन्द्र प्रसाद

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1616
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-109
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अक्षय कुमार यादव

8. पिता/पति का नाम - मोतीलाल यादव

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1618
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-110
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - विश्वनाथ राजवाडे

8. पिता/पति का नाम - रामनारायण राजवाडे

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1650
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-111
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - गजेन्द्र कुमार साहू

8. पिता/पति का नाम - घनाराम साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 83
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-112
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - लायश यादव

8. पिता/पति का नाम - सुखदेव राम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 882
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-113
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - रवि कर्माकर

8. पिता/पति का नाम - संतोष कर्माकर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1988
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-114
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - शुभम खोब्रागढ़े

8. पिता/पति का नाम - स्व० श्री धर्मरक्षित खोब्रागढ़े

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ०ग०)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2006
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-115
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अनिता जाटवर

8. पिता/पति का नाम - श्री राजकुमार जाटवर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1645
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-116
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - रोमनलाल

8. पिता/पति का नाम - गोपीचंद

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1817
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-117
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अरुण कुमार पुरेना

8. पिता/पति का नाम - संतराम पुरेना

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1606
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-118
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - उर्मिला

8. पिता/पति का नाम - धनसिंग माहिलकर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1634
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-119
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - नीतिश कुमार

8. पिता/पति का नाम - स्व० दिलीप कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ०ग०)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1957
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-120
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - मनीषा टंडन

8. पिता/पति का नाम - श्री किशोर टंडन

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1211
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-121
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - सुरेन्द्र कुमार

8. पिता/पति का नाम - श्री जगन्नाथ

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
- परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 794
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-122
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - दिनेश कुमार

8. पिता/पति का नाम - श्री पंचूराम साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 14
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-123
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - नारद

8. पिता/पति का नाम - बलदेव

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
- परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 765
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-124
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - काजल साहू

8. पिता/पति का नाम - श्री नंदकुमार साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 17
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-125
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - विद्या निषाद

8. पिता/पति का नाम - प्रहलाद कुमार निषाद

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1150
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-126
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - मधु

8. पिता/पति का नाम - तामेश्वर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1100
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-127
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - कुलेश्वर कुमार

8. पिता/पति का नाम - रोहित कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 524
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-128
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - कृष्ण कुमार साहू

8. पिता/पति का नाम - कुंवर सिंह साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1058
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-129
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - प्रियांशू बैसवाडे

8. पिता/पति का नाम - संतोष कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 755
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-130
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - सूर्यकांत साहू

8. पिता/पति का नाम - श्री रामकुमार साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
- परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 141
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-131
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - डिगेश्वर साहू

8. पिता/पति का नाम - श्री आत्माराम साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 6
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-132
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - हेमंत कुमार देवांगन

8. पिता/पति का नाम - उमाशंकर देवांगन

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 328
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-133
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - त्रिवेन्द्र बघेल

8. पिता/पति का नाम - लोमश राम बघेल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
- परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 706
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-134
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - जितेन्द्र धुर्वे

8. पिता/पति का नाम - परसूराम धुर्वे

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 264
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-135
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - रुपेन्द्र कुमार साहू

8. पिता/पति का नाम - स्व. मनसुख राम साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1522
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-136
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - संजय कुमार साहू

8. पिता/पति का नाम - दौलतराम साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1997
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-137
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - मुकेश यादव

8. पिता/पति का नाम - श्री महेश यादव

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1970
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-138
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - तामेश्वर कुमार

8. पिता/पति का नाम - श्री राधेलाल कोचिया

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 118
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-139
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - रीतेश कुमार

8. पिता/पति का नाम - श्री अशोक कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1118
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-140
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - चुरामन लाल

8. पिता/पति का नाम - राजेंद्र कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1203
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-141
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - देवानंद

8. पिता/पति का नाम - श्री खिलावन

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1996
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-142
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - टामन प्रसाद मारकण्डे

8. पिता/पति का नाम - श्री रामकुमार मारकण्डे

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 3
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-143
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - शिवा धृतलहरे

8. पिता/पति का नाम - मोहन लाल धृतलहरे

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2044
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-144
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - श्री रितेश कुमार कुरें

8. पिता/पति का नाम - श्री संजय कुमार कुरें

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 790
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-145
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - धर्मेन्द्र कुमार बन्दे

8. पिता/पति का नाम - श्री मुन्ना लाल बन्दे

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 560
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-146
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - थामस राबर्टसन

8. पिता/पति का नाम - रामलाल रात्रे

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 131
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-147
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - प्रीतम सिंह दीवान

8. पिता/पति का नाम - श्री लालसिंह दीवान

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1855
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-148
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - गुलशन कुमार

8. पिता/पति का नाम - खीखराम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1859
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-149
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - झुम्पन लाल पटेल

8. पिता/पति का नाम - स्व 0 रघुवर प्रसाद पटेल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1598
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-150
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - विवेक पात्रे

8. पिता/पति का नाम - सत्यप्रकाश पात्रे

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 466
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-151
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - सेजल जैन

8. पिता/पति का नाम - धनंजय कुमार जैन

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1877
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-152
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - खुशबु कुमार

8. पिता/पति का नाम - सुदर्शन कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 699
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-153
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - भावेन्द्र कुमार

8. पिता/पति का नाम - रमेश कुमार देशमुख

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2250
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-154
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - डिकेन्द्र देवांगन

8. पिता/पति का नाम - शंभुनाथ देवांगन

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 886
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-155
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - भावेश कुमार साहू

8. पिता/पति का नाम - सेतेन्द्र कुमार साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 473
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-156
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - मनोज कुमार

8. पिता/पति का नाम - श्री अशोक कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 715
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-157
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - विकास पटेल

8. पिता/पति का नाम - मुनिराज पटेल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2282
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-158
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - वागेश्वर

8. पिता/पति का नाम - श्री टीकाराम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 849
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-159
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - रवि कुमार

8. पिता/पति का नाम - संतोष कुमार खरे

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1709
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-160
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - प्रतिभा

8. पिता/पति का नाम - भूपेन्द्र कुमार शर्मा

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 628
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-161
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - गंगेश्वरी

8. पिता/पति का नाम - लेखराम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
- परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 696
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-162
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - प्राची चन्द्राकर

8. पिता/पति का नाम - विकास चन्द्राकर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 893
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-163
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - हर्ष टेंभरे

8. पिता/पति का नाम - देवनाथ टेंभरे

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 394
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-164
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अमर लाल सोनी

8. पिता/पति का नाम - संतराम सोनी

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 685
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-165
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - चंदन जायसवाल

8. पिता/पति का नाम - गोविंदा जायसवाल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 681
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-166
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - कु.रागिनी नंदे

8. पिता/पति का नाम - पंचम सिंह नंदे

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1779
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-167
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - श्रीमती मोनिका गायकवाड़

8. पिता/पति का नाम - रिकेश गायकवाड़

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 445
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-168
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - पंकज कुमार साहू

8. पिता/पति का नाम - ओमप्रकाश साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 488
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-169
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - हरीश साहू

8. पिता/पति का नाम - ताराचंद साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 858
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-170
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - हरिचन्द्र

8. पिता/पति का नाम - सुरीतराम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 235
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-171
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - प्रदीप कुमार यादव

8. पिता/पति का नाम - गोरख प्रसाद यादव

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1296
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-172
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - हामिद कुमार

8. पिता/पति का नाम - सहदेव

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 497
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-173
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - डिलेश्वर कुमार

8. पिता/पति का नाम - देवलुराम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2145
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-174
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - यशवंत कुमार

8. पिता/पति का नाम - आजू राम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1297
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-175
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - गणेश प्रसाद गुप्ता

8. पिता/पति का नाम - कन्हैया लाल गुप्ता

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 254
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-176
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - जागेश्वर

8. पिता/पति का नाम - श्री रायसिंग

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
- परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 701
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-177
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - राजकुमार जांगड़े

8. पिता/पति का नाम - रामनारायण

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2121
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-178
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - दीपमाला

8. पिता/पति का नाम - कन्हैया

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 698
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-179
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - डिगम्बर

8. पिता/पति का नाम - नारायण सिंह ध्रुव

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 895
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-180
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - देवानंद

8. पिता/पति का नाम - मनीराम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2452
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-181
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - भूपेन्द्र निषाद

8. पिता/पति का नाम - शीशूपाल निषाद

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 829
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-182
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - चंद्रप्रकाश सिन्हा

8. पिता/पति का नाम - प्रेमलाल सिन्हा

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2127
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-183
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - हरिश कुमार साहू

8. पिता/पति का नाम - हीरालाल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 930
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-184
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - मनहरण लाल

8. पिता/पति का नाम - स्व. श्री सेवक राम साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1192
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-185
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - प्रताप कुमार तारक

8. पिता/पति का नाम - श्री रामचंद्र

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 289
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-186
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - तुकेश्वर प्रसाद

8. पिता/पति का नाम - फूलचंद

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 872
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-187
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - नीरज कुमार साहू

8. पिता/पति का नाम - शत्रुहन साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2423
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-188
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अनिल कुमार जायसवाल

8. पिता/पति का नाम - समारु जायसवाल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1761
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-189
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - नितेश कुमार

8. पिता/पति का नाम - नारायण साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1569
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-190
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - विरेन्द्र सेन

8. पिता/पति का नाम - संतोष सेन

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 250
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-191
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - दुष्यंत कुमार कैवर्त्य

8. पिता/पति का नाम - स्व. पोख राज कैवर्त्य

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 238
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-192
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - होमलाल साहू

8. पिता/पति का नाम - सतीश कुमार साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2196
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-193
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - योगेन्द्र कुमार साहू

8. पिता/पति का नाम - सत्यप्रकाश

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1269
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-194
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - तुलेश्वर देवांगन

8. पिता/पति का नाम - पंचराम देवांगन

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 988
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-195
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - विकास कुमार बंजारी

8. पिता/पति का नाम - पुनेश कुमार बंजारी

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 213
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-196
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - विकास साहू

8. पिता/पति का नाम - रामसहाय साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2206
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-197
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - प्रवीण कुमार देशमुख

8. पिता/पति का नाम - हेमलाल देशमुख

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 233
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-198
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - प्रवीण कुमार

8. पिता/पति का नाम - फिरतु राम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
- परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1828
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-199
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - फलेश्वर

8. पिता/पति का नाम - रमेश कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 816
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-200
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - संतोष कुमार बारले

8. पिता/पति का नाम - नरसिंह बारले

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1794
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-201
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - गीतेश कुमार महिलांगे

8. पिता/पति का नाम - नंदलाल महिलांगे

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2207
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-202
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - नोमेश कुमार शहरे

8. पिता/पति का नाम - जितेन्द्र कुमार शहरे

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 367
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-203
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - नरोत्तम टंडन

8. पिता/पति का नाम - सहदेव टंडन

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 520
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-204
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - बीरेंद्र कुमार

8. पिता/पति का नाम - हरिहर प्रसाद

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2388
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-205
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 08:00 AM
5. परीक्षा का समय - 09:00 AM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - श्री रूपेन्द्र

8. पिता/पति का नाम - श्री बिसम्बर बेरे

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 28
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-206
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - राधेश्याम साहू

8. पिता/पति का नाम - सुधु राम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1043
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-207
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - प्रतिमा निषाद

8. पिता/पति का नाम - स्व. गजेन्द्र निषाद

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2299
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-208
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - आदित्य सिंह

8. पिता/पति का नाम - श्री दुर्गेश सिंह

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 843
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-209
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - पवन कुमार खरे

8. पिता/पति का नाम - संतोष कुमार खरे

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1031
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-210
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - विजय कुमार

8. पिता/पति का नाम - स्व. श्री मनोज कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2260
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-211
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - सूरज कुमार कैवर्त्य

8. पिता/पति का नाम - श्री रमेश कुमार कैवर्त्य

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1567
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-212
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - वेदप्रकाश वर्मा

8. पिता/पति का नाम - कपिल नारायण वर्मा

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1106
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-213
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - नागेंद्र कुमार साहू

8. पिता/पति का नाम - रामेश्वर प्रसाद साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 768
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-214
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - रितेश कुमार

8. पिता/पति का नाम - श्री दिलेन्द्र कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1955
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-215
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - रोशनी

8. पिता/पति का नाम - श्री घनश्याम सिंह साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 307
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-216
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - खिलेन्द्र कुमार

8. पिता/पति का नाम - सुरेश कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1072
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-217
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - मनीष कुमार साहू

8. पिता/पति का नाम - परदेशी राम साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1987
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-218
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - धनेश्वर

8. पिता/पति का नाम - श्री शिव कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 330
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-219
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - रमेश कुमार साहू

8. पिता/पति का नाम - जयकरण साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1999
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-220
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - चन्द्रभान

8. पिता/पति का नाम - श्री चुम्भन लाल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1076
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-221
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - जितेन्द्र कुमार बंजारे

8. पिता/पति का नाम - लवण प्रसाद बंजारे

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1902
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-222
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - सुरज कुमार

8. पिता/पति का नाम - श्री कुलेश्वर प्रसाद रामटेके

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1175
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-223
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - प्रवीण कुमार

8. पिता/पति का नाम - परसराम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2219
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-224
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - वैशाली खण्डा

8. पिता/पति का नाम - बरन राम खण्डा

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 631
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-225
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - शशिकला साहू

8. पिता/पति का नाम - ओमप्रकाश साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1739
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-226
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - ऋषभ मेश्राम

8. पिता/पति का नाम - धर्मपाल मेश्राम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 216
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-227
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - चित्ररेखा निषाद

8. पिता/पति का नाम - स्व. श्री राजकमल प्रजापति

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 422
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-228
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - रूपेश कुमार

8. पिता/पति का नाम - धनेश कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
- परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1333
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-229
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - खूबचंद

8. पिता/पति का नाम - श्रीमान गोविन्द ढीमर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1451
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-230
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - ऋषि कुमार

8. पिता/पति का नाम - मोती राम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 421
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-231
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अनुराग यादव

8. पिता/पति का नाम - मोहन लाल यादव

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1475
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-232
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - डिगेश्वर साहू

8. पिता/पति का नाम - मन्वराम साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2220
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-233
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - राहुल

8. पिता/पति का नाम - डोमन लाल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 386
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-234
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - दिलेश कुमार

8. पिता/पति का नाम - ज्ञानिक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 382
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-235
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - डोमन लाल चन्दे

8. पिता/पति का नाम - धनसिंग

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2440
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-236
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - सुमन सिन्हा

8. पिता/पति का नाम - चन्द्रमणी सिन्हा

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2308
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-237
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - शिखा शुक्ला

8. पिता/पति का नाम - मनोज शुक्ला

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2309
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-238
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - मानसी सिंह

8. पिता/पति का नाम - दुर्गेश सिंह

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2435
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-239
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - दीपक

8. पिता/पति का नाम - मेघनाथ

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 139
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-240
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - वोमेन्द्र कुमार

8. पिता/पति का नाम - श्री दिलेन्द्र कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 916
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-241
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - सोनबाई साहू

8. पिता/पति का नाम - स्व. श्री जितेन्द्र कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 719
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-242
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - कु० पार्वती टंडन

8. पिता/पति का नाम - दिलीप कुमार टंडन

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ०ग०)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 179
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-243
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - राजकुमार वर्मा

8. पिता/पति का नाम - श्री रामकृष्ण वर्मा

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1344
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-244
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - नागेश्वर यादव

8. पिता/पति का नाम - नारयण यादव

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2194
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-245
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - कामदेव

8. पिता/पति का नाम - महेश राम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 974
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-246
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - श्रीमती अंजु वर्मा

8. पिता/पति का नाम - स्व. तुलसी राम वर्मा

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1255
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-247
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - श्रीमती नेहा साहू

8. पिता/पति का नाम - किशोरी लाल साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1261
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-248
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - दीनबंधु पटेल

8. पिता/पति का नाम - मानक पटेल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 953
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-249
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - कु. खुशी महिलांग

8. पिता/पति का नाम - डेरहा राम महिलांग

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2327
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-250
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - तुषार निषाद

8. पिता/पति का नाम - पतिराम निषाद

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1888
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-251
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - योगेश साहू

8. पिता/पति का नाम - गोकुल राम साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2174
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-252
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - तुलेश साहू

8. पिता/पति का नाम - धनीराम साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1487
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-253
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - राहुल कुमार रात्रे

8. पिता/पति का नाम - लखन लाल रात्रे

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 999
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-254
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - आरती बघेल

8. पिता/पति का नाम - ईतवारी राम बघेल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2115
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-255
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - ममता चंदेल

8. पिता/पति का नाम - जयंत कुमार टंडन

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1671
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-256
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - हेमलता बरगाह

8. पिता/पति का नाम - श्री बट्टी बरगाह

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 98
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-257
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - रामकिशोर यादव

8. पिता/पति का नाम - तोरन लाला यादव

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 276
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-258
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - भावना

8. पिता/पति का नाम - गुलशन कुमार साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
- परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 544
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-259
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - श्रीमती मनीषा बारले

8. पिता/पति का नाम - रूपेंद्र कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 543
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-260
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - ललिता कुमारी

8. पिता/पति का नाम - साधराम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 29
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-261
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - तारणी

8. पिता/पति का नाम - सुरेश कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 710
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-262
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - लक्ष्मी चंदेल

8. पिता/पति का नाम - भागवत दास

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 747
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-263
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - इंदु साहू

8. पिता/पति का नाम - झूमूक लाल साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
- परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 284
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-264
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - खेलाल

8. पिता/पति का नाम - रुष्यंत कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 385
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-265
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - सोहद्रा साहू

8. पिता/पति का नाम - कमल नारायण साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1744
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-266
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - जया ठाकुर

8. पिता/पति का नाम - योगेश्वर ठाकुर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 665
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-267
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अंकिता यादव

8. पिता/पति का नाम - विपिन कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


अभ्यर्थी,
भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2303
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-268
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - कंचन देवांगन

8. पिता/पति का नाम - भगवती देवांगन

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1355
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-269
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - चित्ररेखा प्रजापति

8. पिता/पति का नाम - स्व.राजकमल प्रजापति

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 638
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-270
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - शैलेन्द्र कुमार बंजारे

8. पिता/पति का नाम - रोहित कुमार बंजारे

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 878
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-271
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - वीरेंद्र कुमार

8. पिता/पति का नाम - पुनीतराम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1392
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-272
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - मुकेश कुमार यादव

8. पिता/पति का नाम - बुधारु यादव

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1302
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-273
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - कमलनारायण

8. पिता/पति का नाम - सेवाराम यादव

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2437
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-274
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - तानसिंह

8. पिता/पति का नाम - डोंगरसिंह

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 637
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-275
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - कुश कुमार लश्कर

8. पिता/पति का नाम - स्व.बलराम प्रसाद लश्कर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1581
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-276
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - राजेन्द्र कुमार

8. पिता/पति का नाम - कृपाराम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 95
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-277
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - सौरभ वर्मा

8. पिता/पति का नाम - दयानंद वर्मा

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 230
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-278
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - हेमशंकर साहू

8. पिता/पति का नाम - डाक्टर प्रसाद

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 545
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-279
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - रवि कुमार साहू

8. पिता/पति का नाम - घनश्याम साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 541
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-280
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - तारकेश प्रजापति

8. पिता/पति का नाम - स्व० राजकमल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ०ग०)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1921
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-281
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - बल्लू निषाद

8. पिता/पति का नाम - श्री मूलचंद निषाद

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1250
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-282
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - श्री शुभम कोरी

8. पिता/पति का नाम - श्री कृष्णा कुमार कोरी

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 856
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-283
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अमरदीप कुमार साहू

8. पिता/पति का नाम - धर्मेन्द्र कुमार साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 257
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-284
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - ओमप्रकाश साहू

8. पिता/पति का नाम - गोपीचंद साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2325
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-285
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - कु. नीलम यादव

8. पिता/पति का नाम - राजेन्द्र कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 693
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-286
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - ओमप्रकाश शर्मा

8. पिता/पति का नाम - जयकिशोर शर्मा

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1679
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-287
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - कु० नेहा यदु

8. पिता/पति का नाम - श्री मानसमणी

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1074
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-288
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अजय कुमार यादव

8. पिता/पति का नाम - सरजू यादव

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 51
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-289
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - विरेन्द्र कुमार साहू

8. पिता/पति का नाम - रनसाय साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 198
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-290
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - उदय करण

8. पिता/पति का नाम - श्री टेकसिंह

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 515
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-291
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - लक्ष्मण

8. पिता/पति का नाम - कुंज लाल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 193
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-292
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - करण दास

8. पिता/पति का नाम - श्री शिवकुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1204
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-293
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - साकेत कुमार देशमुख

8. पिता/पति का नाम - श्री नरेन्द्र कुमार देशमुख

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1119
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-294
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - लक्ष्मी

8. पिता/पति का नाम - परदेशी

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 313
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-295
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अकेश्वर

8. पिता/पति का नाम - भीम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
- परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 125
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-296
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - खेमूलाल साहू

8. पिता/पति का नाम - श्री बिहारी राम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1139
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-297
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - हेमंत कुमार

8. पिता/पति का नाम - दिनेश कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
- परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1231
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-298
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - राहुल कुमार साहू

8. पिता/पति का नाम - श्री टीकम राम साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 154
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-299
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - विवेक वर्मा

8. पिता/पति का नाम - श्री रामकरण वर्मा

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1091
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-300
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - त्रय कुमार

8. पिता/पति का नाम - श्याम कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1300
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-301
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - डेलूराम

8. पिता/पति का नाम - आत्माराम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 614
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-302
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - मिथलेश्वर सिंह

8. पिता/पति का नाम - जयराम सिंह

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 606
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-303
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - हरीश साहू

8. पिता/पति का नाम - जगन्नाथ साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 437
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-304
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - मिशन चिरामें

8. पिता/पति का नाम - इतवारी राम चिरामें

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 287
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-305
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - उमेश कुमार

8. पिता/पति का नाम - मया राम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1293
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-306
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - महेश कुमार सिन्हा

8. पिता/पति का नाम - शिवशंकर सिन्हा

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2273
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-307
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - मनोज कुमार सिन्हा

8. पिता/पति का नाम - श्री दशरथ राम सिन्हा

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 664
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-308
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - गोविन्द राम

8. पिता/पति का नाम - महाराजी राम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1176
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-309
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - मीनेश दास मानिकपुरी

8. पिता/पति का नाम - आगेश्वर प्रसाद मानिकपुरी

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2370
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-310
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - डेविड कुमार वर्मा

8. पिता/पति का नाम - स्व. भागवत वर्मा

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 660
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-311
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - प्रणव कुमार साहू

8. पिता/पति का नाम - राजू साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1731
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-312
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - पावेन्द्र कुमार

8. पिता/पति का नाम - होश राम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2003
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-313
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अनुपम पटेल

8. पिता/पति का नाम - श्री सुरेश पटेल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1400
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-314
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - मनीष कुमार साहू

8. पिता/पति का नाम - स्व.रुद्र प्रताप साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2143
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-315
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - कैलाश कुमार साहू

8. पिता/पति का नाम - लखन लाल साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1785
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-316
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - विवेक कुमार

8. पिता/पति का नाम - ईश्वर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1361
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-317
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - मनीष साहू

8. पिता/पति का नाम - संतोष कुमार साहू

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2351
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-318
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - मितिन कुमार

8. पिता/पति का नाम - श्री ओमप्रकाश टंडन

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 656
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-319
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - दीपचंद चतुर्वेदी

8. पिता/पति का नाम - शिवप्रसाद चतुर्वेदी

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2122
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-320
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - एमन लाल

8. पिता/पति का नाम - गुहा राम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2081
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-321
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - अजय सिंह चौहान

8. पिता/पति का नाम - जगमोहन सिंह

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2053
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-322
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - टीकम सिंह

8. पिता/पति का नाम - विजय कुमार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 212
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-323
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - डाल सिंग

8. पिता/पति का नाम - डोमन सिंग

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 1736
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-324
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - कौशल कुमार कुम्हारे

8. पिता/पति का नाम - एफ. एल. कुम्हारे

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 2258
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-325
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लॉक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - जय प्रकाश

8. पिता/पति का नाम - श्री तुलसी राम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वांछित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 585
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-326
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - चन्द्रेश कुमार गजेन्द्र

8. पिता/पति का नाम - राजेन्द्र कुमार गजेन्द्र

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अपना नवीनतम,
पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटो, चस्पा करके
लावें, व
स्वहस्ताक्षरित करें

प्रवेश-पत्र


आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु

1. पंजीयन क्रमांक - 452
2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक CE-327
3. परीक्षा तिथि 17/12/2023, रविवार
4. परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति का समय 11:30 AM
5. परीक्षा का समय - 12:00 PM
6. परीक्षा केन्द्र का नाम - कुटुम्ब न्यायालय परिसर, (जिला न्यायालय नवीन भवन, B ब्लाक, प्रथम तल) दुर्ग

7. अभ्यर्थी का पूरा नाम - सहल हबीब

8. पिता/पति का नाम - डी.आर. करीम अन्सारी

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा केन्द्र में)


भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में दिये गये समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को वीक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
- परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गयी है या वह वाञ्छित योग्यता को पूर्ण नहीं करता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।